न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी—नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—24/2021 विविध

विक्रम सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सैक्टर नं. 09, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. रमेशदेव, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. छिन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री सेवा सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण

3. यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सैक्टर नं. 09, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत मुन्तकिल किये जाने प्रकरण संख्या 163/2018, शीर्षक छिन्द्रपाल सिंह आदि बनाम परविन्द्र सिंह आदि, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न्यायालय सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

उपस्थितः—1. श्री शिवराज सिंह खोसा, एडवोकेट—प्रार्थी।
2. श्री राजेश दीप राय, एडवोकेट—अप्रार्थी सं. 2।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः—02.09.2021**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी व अन्य के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बअनवानी छिन्द्रपाल सिंह बनाम परविन्द्र सिंह आदि, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के समक्ष पेश किया हुआ है।

अप्रार्थी संख्या 02 राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 01 से हमारी बात तय हो गई है, अब उक्त प्रार्थना पत्र में हम हमारे पक्ष में निर्णय पारित करवायेंगे तथा निर्णय उपरान्त आपकी कृषि भूमि पर कब्जा करेंगे। विचारणीय न्यायालय के द्वारा अपने विधिक अधिकारों से बाहर जाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि विचारणीय न्यायालय से प्रार्थी को कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 01 के खिलाफ इस अमर की अरथाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत मुन्तकिल के अन्तिम निस्तारण तक प्रकरण संख्या 163/2018 में आगामी कोई कार्यवाही या आदेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पारित नहीं करने से ममनू व बाज रहे। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व उपखण्डाधिकारी, संगरिया से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–01 में वर्णित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बअनवानी छिन्द्रपाल सिंह बनाम परविन्द्र सिंह आदि, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के समक्ष पेश होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–2 पर राजनीतिक पहुंच सम्बन्धी कथन मिथ्या किये हैं। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या–1 से हमारी बात तय हो गई है अब उक्त प्रार्थना पत्र में हमारे पक्ष में निर्णय पारित करवायेंगे। प्रार्थी का यह कथन भी कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने धमकी दी हो कि निर्णय उपरांत आपकी कृषि भूमि पर कब्जा करेंगे। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है कि विचारण न्यायालय के द्वारा अपने विधिक अधिकारों से बाहर जाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाता हो। प्रार्थी के विश्वास व न्याय की उम्मीद सम्बन्धी कथन प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का ढांचा तैयार करने की गर्ज से मिथ्या किये है। वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–2 की कृषि भूमि चक 11 ए.एम.पी. खाता संख्या 23/76 में 3.543 हैक्ट. में 1/2 हिस्सा है जिसमें से अप्रार्थी सं. 02 के नाम दर्ज पत्थर नं. 147/155(30) कि. नं. 12 से 25 में आवागमन हेतु कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। अप्रार्थी सं. 02 ने प्रार्थी व अन्य की कृषि भूमि प. नं. 147/155(30) के कि. नं. 5 व 6 में पत्थर लाईन के साथ–साथ 1–1 बिस्वा यानि कुल 2 बिस्वा रास्ता उत्तर से दक्षिण स्वीकृत किये जाने हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के समक्ष प्रार्थना पत्र बअनवानी "छिन्द्रपाल सिंह बनाम परविन्द्र सिंह आदि" विविध प्र. सं. 163/2018 प्रस्तुत किया है। उक्त मुकदमा प्रस्तुत हुए 3 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। उक्त प्रकरण अब अन्तिम बहस पर है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को देरी करने की गर्ज से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किया है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विशेष हर्जाना के खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 02 ने यह धमकी दी है कि उसकी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से हमारी बात तय हो गई है, अब उक्त प्रार्थना पत्र में हम हमारे पक्ष में निर्णय पारित करवायेंगे तथा निर्णय उपरान्त आपकी कृषि भूमि पर कब्जा करेंगे। प्रार्थी को यह आशंका है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 02 के दबाव में आकर प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही फैसला कर देगा। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं होने तथा प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में होने पर विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किया है कि विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए 3 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। उक्त प्रकरण अब अन्तिम बहस पर है। प्रार्थी जानबूझकर प्रश्नगत प्रकरण को लम्बित रखने तथा प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण पर जो आक्षेप अंकित किये है वे निराधार एवं मनघडंत है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 02 पर लगाये गये आक्षेप पूर्णतया निराधार व झूठे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। प्रार्थी द्वारा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया में अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया गया है जो वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी व वकालतनामा अप्रार्थी सं. 03 की स्टेज पर है। वाद पत्र अभी तक अन्तिम निस्तारण की स्थिति में नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध जो आक्षेप अंकित किये गये है उनके सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के स्थानान्तरण के बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नहीं समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, संगरिया को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 02.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़